भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3089
09 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

3089. श्री केसिनेनी शिवनाथ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएस) के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश में पीएमएसएस के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए प्रयुक्त मानदंडों तथा पात्रता की पुष्टि करने और छात्रवृत्ति के वितरण के लिए डेटा-संचालित प्रक्रिया का मात्रात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएमएसएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में मृतक/पूर्व सैन्यकर्मियों की पात्र विधवाओं और बच्चों के बीच छात्रवृत्ति के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मुद्रास्फीति और बढ़ती शिक्षा लागत को देखते हुए पीएमएसएस के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने के लिए सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्योरा इस प्रकार है:

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	631
2020-21	508
2021-22	769
2022-23	719
2023-24	892

(ख) : ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने प्राधिकृत तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, वे पीएमएसएस के लिए पात्र होते हैं। अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (10+2/डिप्लोमा/स्नातक यथा लागू) में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। अभ्यर्थियों का चयन नीचे दिए गए पात्रता मानदंड (प्राथमिकता के क्रम में) (i) से (vi) एवं प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार मेरिट क्रम में किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लीरेंस सिस्टम (ईसीएस) के जरिए सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े खातों में किया जा रहा है।

पात्रता मानदंड (प्राथमिकता क्रम)

(i) **कार्रवाई में मारे गए** ईएसएम/भूतपूर्व-तटरक्षक कार्मिकों के प्रतिपाल्य/विधवाएं।

(ii) **कार्रवाई में निशक्त हुए** एवं **सैन्य/तटरक्षक सेवा पर आरोप्य नि:शक्तता के साथ** सेवा से निकाले गए ईएसएम/भूतपूर्व-तटरक्षक कार्मिकों के प्रतिपाल्य।

(iii) **सैन्य/तटरक्षक सेवा पर आरोप्य कारणों के चलते सेवा के दौरान मृत हुए** ईएसएम/भूतपूर्व-तटरक्षक कार्मिकों के प्रतिपाल्य/विधवाएं।

(iv) **सैन्य/तटरक्षक सेवा पर आरोप्य नि:शक्तता के साथ सेवा में निशक्त हुए** ईएसएम/भूतपूर्व तटरक्षक कार्मिकों के प्रतिपाल्य।

(v) **वीरता पुरस्कार** प्राप्त करने पर ईएसएम/भूतपूर्व तटरक्षक कार्मिकों के प्रतिपाल्य।

(vi) ईएसएम/भूतपूर्व तटरक्षक कार्मिकों **(केवल पीबीओआर)** के प्रतिपाल्य।

(ग) : पीएमएसएस के लिए वित्तपोषण का आवंटन राष्ट्रीय रक्षा कोष से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीकृत रूप से किया जाता है जिसका उपयोग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आवेदकों के भुगतान हेतु किया जा रहा है। राज्य-वार किसी वित्तपोषण का आबंटन नहीं किया जाता है। छात्रवृत्ति प्रत्येक वर्ष आवेदन करने वाले भूतपूर्व-सैनिकों के प्रतिपाल्यों/विधवाओं के बीच मेरिट के आधार पर प्रदान की जाती है। अभ्यर्थियों का चयन पात्रता मानदंड/प्राथमिकता क्रम एवं प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार मेरिट क्रम में किया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्तियों की संख्या 4000 से बढ़कर 5500 (2750 छात्र एवं 2750 छात्राएं) प्रतिवर्ष कर दी गई हैं।

(घ) : पीएमएसएस के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि समय-समय पर बढ़ाई जाती है। अब तक छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। पूर्व में बढ़ाई गई छात्रवृत्ति राशि का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

(i) 2006-07 (प्रारंभ में) : 15000 रु. छात्रों के लिए

18000 रु. छात्राओं के लिए

(ii) 2012-13 : 24000 रु. छात्रों के लिए

27000 रु. छात्राओं के लिए

(iii) 2019-20 : 30000 रु. छात्रों के लिए

36000 रु.छात्राओं के लिए

*****